न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 254/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मांगीलाल पुत्र हापुराम		1. मोहनलाल पुत्र जीवणराम
2. चुतराराम पुत्र हापुराम		2. बाबूलाल पुत्र जीवणराम
3. पुखराज पुत्र हापुराम		3. दुर्गाराम पुत्र जीवणराम जाति– माली निवासी– आ0कालू तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।
4. रामकुमार पुत्र हापुराम जातियान– माली निवासीगण– आ0कालू तहसील–जैतारण जिला– पाली राज0।		4. लाबुराम पुत्र बुधाराम
		5. बगदाराम पुत्र बुधाराम जातियान– माली निवासीगण– अमरपुरा तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 **तारीख रजू:.27/09/2018**

उपस्थितः. 1. श्री, चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री, किशोरकुमार सोलंकी, अधिवक्ता प्रति0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 31/10/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण 01 से 03 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की पैतृक पुश्तैनी जमीन उपरोक्त मुतनाजा जमीन के 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का कब्जाकाश्त अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। जमाबन्दी की नकल दावे के साथ पेश है। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित वंशावली के अनुसार मुतनाजा जमीन सुजा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। सुजाजी के फौत होने पर उनकी पत्नि केलकी के नाम बतौर विरासत का नामान्तकरण भरा गया फिर कैलकी भी लावल्द फौत हो गई तब से आज तक मृतक केलकी बेवा सुजा का नाम राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 मृतक सुजा के नजदीकी उतराधिकारी है मृतक सुजा जी के पिता मियाल जी के भाई जीताजी थे। जीताजी के रायमल जी व बुधाराम जी दो बेटे थे रायमल जी के दो लड़के हापुराम जी व जीवणराम जी थे। बुधाराम जी अपने ससुराल अमरपुरा घर जवाई चले गये। अमरपुरा में अपने श्वसुर की चल व अचल सम्पति के मालिक हो गये। बुधाराम जी के दो लकड़े लाबुराम व बगदाराम है जो प्रतिवादी संख्या 04 व 05 है जो अमरपुरा गांव में ही जन्म से रहते है अपने पिता बुधाराम जी की चल व अचल सम्पति के मालिक हो गये मुतनाजा जमीन पर प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का बहिस्सा बराबर आया हुआ है यानि वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के अलावा मृतक सुजा के कोई नजदीकी उतराधिकारी नहीं है। इसलिए उक्त मुतनाजा जमीन के वादीगण को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है इसी हिस्से माफिक राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का नाम दर्ज किया जाना जरूरी है। मुतनाजा जमीन में मृतक केलकी का नाम राजस्व रेकर्ड में होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 बैंक से ऋण भी नहीं ले सकते और किसान

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

केडिट कार्ड भी नहीं बना सकते तथा सरकारी अनुदान से भी वंचित है इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 अपने 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते है तथा अपने कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर जमीन के तारबन्दी भी की हुई है। वर्तमान में जमीन की कीमतें बढ्ने से प्रतिवादी संख्या 04 से 05 की नियत में फर्क आ गया और एलानिया कहते है कि मुतनाजा जमीन पैतृक पुश्तैनी होने से हम भी कब्जा करेंगे और हम भी अपना हिस्सा लेंगे जबकि प्रतिवादी संख्या 04 से 05 का जन्म भी ग्राम अमरपुरा में हुआ और अपने पिता बुधाराम जी के नाम की चल व अचल सम्पति के मालिक बने हुए है। इसलिए मुतनाजा जमीन में प्रतिवादी संख्या 04 से 05 का कोई कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा और न इनका कोई हक व अधिकार बनता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 04 से 05 को उक्त मुतनाजा जमीन पर दखलंदाजी करने व वादीगण संख्या 01 से 03 के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 20.08.2018 को जब प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने मुतनाजा जमीन पर कब्जा करने की एलानिया धमकी आ0कालू में देने पर बमुकाम आ0कालू में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर मयाद पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील किशोर कुमार सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। वकील मय वादीगण ने एवं प्रतिवादीगण मय वकील ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। राजीनामा में जाहिर किया कि वादीगण मांगीलाल, चुतराराम, पुखराज एवं रामकुमार व प्रतिवादीगण मोहनलाल, बाबुलाल, दुर्गाराम, लाबुराम एवं बगदाराम कि और से निवेदन हैं कि उपरोक्त अनवान के वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में भाइबन्द तथा एक ही वंशज की सन्तान हैं इनके परिवार के रिश्तेदारों ने बैठकर आपस में समझाईस करके राजीनामा करवा दिया हैं मुतनाजा भूमि जो दावे के पद संख्या एक में दर्शाई गई हैं जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवाडी संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया जावें, प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नही रहेगा केलकी बेवा सुजा नाऔलाद फौत होने से इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन हैं कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें। बाद राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। वकील वादीगण ने खातेदार केलकी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पेश किया, प्रमाण पत्र में जाहिर किया गया कि केलकी देवी पत्नि सुजाराम के जन्म/पैदाईश की कोई सन्तान नही हैं। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादी ने सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर केलकी देवी पत्नि सुजाराम विधिक वारिसान होने से वादीगण संख्या 01 से 04 एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पिता ग्राम अमरपुरा घर जवाई चले गये एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 जन्म से ग्राम अमरपुरा रहने से उक्त भूमि में हिस्सा व अधिकार नही हैं, इस बाबत् राजीनामा पेश किया हैं। वादीगण संख्या 01 से 04 एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को 1/2, 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं तथा उसी अनुसार काबिज हैं। लिहाजा माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

-::आदेश::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा कालू में चक नंबर 01 पटवार हल्का आ0 कालू में स्थित खसरा नंबर 820 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 821 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 834 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1739 रकबा 07 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी कुल खसरा 04 कुल रकबा 47 बीघा 03 बिस्वा भूमि

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में केलकी बेवा सुजा के स्थान पर वादीगण संख्या 01 से 04 को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिकी पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावे। वादी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 31/10/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner